रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33001/96

REGISTERED NO. DL-33001/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 25, 1996/ज्येष्ठ 4, 1918
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 25, 1996/JYAISTHA 4, 1918

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

(न्यायिक अनुभाग)

सूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 1996

का.आ. 1461.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री बबनराव विथोबा बायाले, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे कासारवाड—पिम्परी चिंचवाड पुणे (महाराष्ट्र) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5 (110)/96—न्यायिक]

पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

(Judicial Section)

NOTICE

New Delhi, the 6th May, 1996

S.O. 1461.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Babanaro Vithoba Bayale, Advocate for appointment as a Notary to pretise in Kasarwadi Pimpri Chinchwade in Pune (Maharasatra).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(110)/96-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

आदेश

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1996

का. आ. 1470 :—चूंकि संयुक्त सचिव, भारत सरकार को स्वापक औषध तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1988 के गैर कानूनी अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए खंड 3 की उपखंड (1) के अधीन विशेष रूप से शक्ति प्राप्त है, अतः उक्त उपखंड के अंतर्गत फा. सं. 801/8/95—पिट एन डी पी एस दिनांक 31 अक्तूबर, 95 के अधीन आदेश जारी करने के संदर्भ में निदेश है कि श्री पलविन्दर सिंह रन्धावा पुत्र श्री दर्शन सिंह रंधावा जो सामान्यः रूप से ए—26 रिंग रोड लाजपत नगर नई दिल्ली में रहते थे को नजरबंद किया जाए तथा स्वापक औषधों की उपलब्धता, रखने, लाने-ले जाने तथा विक्रय में शामिल होने से रोकने हेतु केन्द्रीय कारागार, बुरैल, चंडीगढ़ में हिरासत में रखा जाए।

2. चूंकि केन्द्रीय सरकार यह समझती है कि उपर्युक्त व्यक्ति फरार होने वाला है या अपने-आपको छिपाता है ताकि आदेश का निष्पादन न हो सके।

3. अतः अब उक्त अधिनियम के खंड 8 के उप खंड 1 उपवाक्य (ख) द्वारा निश्चित की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह निदेश देती है कि उक्त व्यक्ति को सरकारी गजट में इस आदेश के प्रकाशन के 10 दिनों के भीतर आयुक्त सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, चंडीगढ़ के समक्ष उपस्थित होने के लिए आदेश देती है।

[फा. सं. 801/8/95—पिट एन डी पी एस]

बी. के. अरोड़ा, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 30th April, 1996

S.O. 1470.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, Specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued order F. No. 801/8/95-PITNDPS dated 31st October, 1995 under the said sub-section directing that Shri Palvinder Singh Randhawa S/o Shri Darshan Singh Randhawa who ordinarily resided at A-26, Ring Road, Lajpat Nagar, New Delhi be detained and kept in custody in the Central Jail, Burail, Chandigarh with a view to preventing him from engaging in procurement, possession, transportation and sale of narcotic drugs.

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Customs & Central Excise, Chandigarh within 10 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 801/8/95-PITNDPS]

B. K. ARORA, Under Secy.